


प्रथम सूचना रिपोर्ट

{ अन्तर्गत धारा 154 दण्ड प्रक्रिया सहित }

1. जिला- भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, सिरौही, थाना:- सीपीएस जयपुर, वर्ष 2022
प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या..... 237/22 दिनांक..... 19/6/2022
2. (1) अधिनियम भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) अधिनियम 2018, धारा 7
(2) अधिनियम भारतीय दण्ड संहिता धाराये:-
(3) अधिनियम धाराये :-.....
(4) अन्य अधिनियम व धारायें :-
3. (अ) रोजनामचा आम रपट संख्या..... 279 समय..... 1.45 PM
(ब) अपराध के घटने का दिन :- गुरुवार, दिनांक 28.04.2022, समय 4:00 पीएम,
(स) थाना पर सूचना प्राप्त होने का दिनांक :- 28.04.2022 समय 12:30 एएम,
4. सूचना की किस्म :- कम्प्युटराईज्ड टाईप सुदा,
5. घटनास्थल :-
(अ) पुलिस थाना से दिशा व दूरी :- चौकी से बदिश पश्चिम बफासला करीब 35 कि.मी. दूर।
(ब) पता :- पटवार घर मेर-माण्डवाड़ा, तहसील व जिला सिरौही,
(स) यदि इस पुलिस थाना से बाहरी सीमा का है तो :- नहीं
6. परिवादी / सूचनाकर्ता :-
1. श्री श्रवण पुरोहित पुत्र श्री चेलाराम, जाति पुरोहित, उम्र 32 वर्ष, पैशा व्यवसाय, निवासी ग्राम आमलारी, तहसील व जिला सिरौही।
7. ज्ञात / अज्ञात संदिग्ध अभियुक्तों का ब्यौरा विशिष्टियों सहित :-
1. श्री जेटूसिंह बारहठ पुत्र श्री देवीसिंह बारहठ, जाति चारण, उम्र 48 वर्ष, निवासी ग्राम गुडा एन्दला, तहसील व जिला पाली, हाल पटवारी, पटवार मण्डल मेर-माण्डवाड़ा, तहसील व जिला सिरौही।
8. परिवादी / सूचनाकर्ता द्वारा इतला देने में विलम्ब का कारण :- कोई नहीं।
9. चुराई हुई / लिप्त सम्पत्ति की विशिष्टियां :- 15000 / - रुपये।
10. चुराई हुई / लिप्त सम्पत्तिया का कुल मूल्य रिश्वती राशि की मांग करना,
11. पंचनामा / यूडी केस संख्या (अगर हो तो).....
12. विषय वस्तु प्रथम इतला रिपोर्ट

निवेदन है कि दिनांक 28.04.2022 वक्त 12:30 P.M. पर परिवादी श्री श्रवण पुरोहित पुत्र श्री चेलाराम, जाति पुरोहित, उम्र 32 वर्ष, पैशा व्यवसाय, निवासी ग्राम आमलारी, तहसील व जिला सिरौही, मोबाईल नं. 8692981847 ने ब्यूरो कार्यालय सिरौही पर उपस्थित होकर एक लिखित रिपोर्ट मय स्वयं के आधार कार्ड एवं अपनी माताजी श्रीमति सदुबाई / चेलाराम के खेत खसरा सं. 2874 में 1/4 हिस्सा राजस्व ग्राम मेर-माण्डवाड़ा की जमाबन्दी की स्व-प्रमाणित



प्रतियों के श्री अदाराम सहायक उप निरीक्षक पुलिस के समक्ष इस आशय की प्रस्तुत की कि ग्राम व पटवार हल्का मेर माण्डवाड़ा, तहसील सिरोही के खेत खसरा सं. 2874 रकबा 1.2300 हैक्टेयर में मेरी माताजी श्रीमति सदुबाई का 1/4 हिस्सा व श्रीमति सोनीदेवी पत्नि श्री चोपाजी कलबी का 3/4 हिस्सा हैं, दोनों खातेदार स्वेच्छा से उक्त खेत का बंटवाड़ा करवाना चाहते हैं, इसलिए मैंने मेरी माताजी व हिस्सेदार श्रीमति सोनीदेवी के कहने पर करीब हफ्ता भर पूर्व श्री जीतूसिंह पटवारी, पटवार हल्का मेर माण्डवाड़ा से सम्पर्क कर बंटवाड़े बाबत बातचीत की तो पटवारी ने मुझे कहा कि दोनों खातेदार के आधार कार्ड दे देना, मैं सहमति पत्र एवं अन्य कागजात तैयार करवा दूंगा, आप एक दिन दोनों को बुलाकर दस्तावेजों पर अंगूठे करवा देना एवं साथ ही 20,000 रु. खर्चा-पानी दे देना, मैं आपके काम करवा दूंगा, जिस पर मैंने तहसील कार्यालय में जाकर मालुमात की तो इस कार्य पेटे स्टाम्प के 500 रु. व 500 रु. टाईप व कुछ अन्य खर्चा मिलाकर ज्यादा से ज्यादा 1500 रु. से अधिक का खर्चा नहीं लगना मेरी जानकारी में आया है, मैं मेरे जायज कार्य के बदले पटवारी को रिश्वत नहीं देना चाहता हूँ, मैं उसे रंगे हाथों पकड़वाना चाहता हूँ। वगैरहा रिपोर्ट पर परिवादी से पूछताछ की गई तो परिवादी ने रिपोर्ट स्वयं की हस्तलिपी में लिखकर इस पर स्वयं के हस्ताक्षर होना एवं रिपोर्ट में उल्लेखित सभी तथ्य सही होना बताया। परिवादी की उपरोक्त रिपोर्ट एवं तकरीरन दरियाफ्त से मामला लोक सेवक द्वारा वैध कार्य के लिये रिश्वत की मांग करना प्रथम दृष्टिया भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) अधिनियम-2018 की परिभाषा में आने से अग्रिम कानूनी कार्यवाही हेतु श्री अदाराम ए.एस.आई. द्वारा मन् ओमप्रकाश चौधरी अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्र.नि.ब्यूरो जालोर तत्समय अपराध गोष्ठी एवं प्रशिक्षण आदि राजकार्य हेतु बमुकाम जयपुर था, से जरिये मोबाईल वार्ता कर परिवादी के उपस्थित आकर रिपोर्ट पेश करने व परिवादी की रिपोर्ट में उल्लेखित तथ्य एवं तकरीरन दरियाफ्त पर जाहिर किये गये तथ्य आदि के संबध में बताया गया, जिस पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा परिवादी की रिपोर्ट प्राप्त कर रिपोर्ट पर रिश्वती राशि मांग का गोपनीय सत्यापन करवाने हेतु कार्यालय के श्री रमेशकुमार कानि. नं. 119 को मय डिजीटल टेप रिकॉर्डर के परिवादी के साथ भेजने हेतु निर्देशित किया, जिस पर श्री अदाराम ए.एस.आई. द्वारा परिवादी एवं श्री रमेशकुमार कानि. नं. 119 का परस्पर परिचय करवाकर कार्यालय मालखाना से डिजीटल टेप रिकॉर्डर निकालकर परिवादी एवं श्री रमेशकुमार कानि. नं. 119 को इसे ऑपरेट करने बाबत समझाईश कर श्री रमेशकुमार कानि. 119 को मय डिजीटल टेप रिकॉर्डर के परिवादी श्री श्रवण पुरोहित के साथ उसी समय रवाना एसीबी चौकी सिरोही से पटवार घर मेर-माण्डवाड़ा की तरफ किया गया। बाद सत्यापन कार्यवाही के उसी दिन परिवादी के साथ गया हुआ श्री रमेशकुमार कानि. नं. 119 ब्यूरो कार्यालय पर उपस्थित आया एवं डिजीटल टेप रिकॉर्डर श्री अदाराम सहायक उप निरीक्षक पुलिस को सुपुर्द कर बताया कि निर्देशानुसार चौकी हाजा से परिवादी श्री श्रवण पुरोहित के साथ मय डिजीटल टेप रिकॉर्डर के रवाना होकर पटवार घर मेर-माण्डवाड़ा के पास पहुंचे, जहां परिवादी को डिजीटल टेप रिकॉर्डर ऑन कर सुपुर्द कर एस.ओ. से सम्पर्क करने हेतु उक्त पटवार घर में भेजा एवं मैं वहीं आस-पास स्वयं की उपस्थिति छिपाते हुए परिवादी के इंतजार में व्यस्त हुआ। कुछ देर बाद परिवादी पटवार घर से निकलकर मेरे पास आया व डिजीटल टेप रिकॉर्डर मुझे सुपुर्द किया, जिसे स्वीच ऑफ कर मैंने मेरे पास रखा एवं परिवादी से पूछने पर उसने बताया कि आरोपी श्री जीतूसिंह पटवार पटवार घर मेर-माण्डवाड़ा में हाजिर मिले, जिससे मैंने मेरी माताजी एवं अन्य हिस्सेदार श्रीमति सोनीदेवी के खेत के बंटवाड़े के बारे में बातचीत की तो बातचीत के दौरान उसने आवश्यक दस्तावेज देने व साथ ही 20,000 रु. खर्चा-पानी के रूप में रिश्वत की मांग की, जिस पर मेरे द्वारा उक्त राशि बहुत ज्यादा होने एवं कुछ कम करने का निवेदन करने पर उसने सहमति पत्र/स्टाम्प आदि तैयार करवाने हेतु 2000 रु. मेरे से मांगकर प्राप्त किये एवं 15000 रु. सोमवार दिनांक 02.05.2022 को देने का कहा, साथ ही दोनों खातेदारों के आधार कार्ड भिजवाने की बात कही। तत्पश्चात परिवादी से आरोपित पटवारी को रिश्वत में दी जाने वाली

राशि 15000 रु. की व्यवस्था कर सोमवार अर्थात दिनांक 02.05.2022 को प्रातः ब्यूरो कार्यालय सिरोही पर उपस्थित आने एवं इस दौरान प्रकरण की गोपनीयता बनाए रखने की हिदायत कर उसे पीछे छोड़कर चौकी हाजा पर उपस्थित आया हूँ। श्री रमेशकुमार कानि. 119 द्वारा बताये गये उक्त तथ्यों से रिश्वती राशि का लेनदेन सोमवार दिनांक 02.05.2022 को होना एवं आरोपित द्वारा परिवादी से 15000 रु. रिश्वती राशि मांग किया जाना स्पष्ट हुआ, लिहाजा उपरोक्त हालात से श्री अदाराम एएसआई द्वारा मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को जरिये मोबाईल अवगत करवाया गया, जिस पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर में रिकॉर्डिंग रिश्वती राशि मांग सत्यापन वार्ता को ध्यान से सुनकर पुनः अवगत कराने हेतु निर्देशित करने पर श्री अदाराम एएसआई द्वारा व श्री रमेशकुमार कानि. द्वारा डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर ऑन कर रिकॉर्डिंग वार्ता सुनी गई तो परिवादी के हवाले से श्री रमेशकुमार कानि. द्वारा इसी पैराज में ऊपर बताये गये तथ्यों की ताईद होते हुए परिवादी से आरोपी द्वारा वक्त सत्यापन 2000 रु. प्राप्त करते हुए ओर 15000 रु. रिश्वती राशि की मांग एवं उक्त राशि सोमवार दिनांक 02.05.2022 देने का कहना पाया गया। जिस पर उपरोक्त हालात से पुनः मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को जरिये मोबाईल अवगत करवाया गया। जिस पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा सोमवार दिनांक 02.05.2022 को आरोपी के विरुद्ध ट्रेप कार्यवाही आयोजन का निर्णय लिया जाकर प्रकरण में अग्रिम तैयारी करने हेतु एएसआई मय स्टाफ को निर्देशित किया गया। श्री अदाराम ए.एस.आई. के माध्यम से परिवादी श्री श्रवण पुरोहित को सोमवार दिनांक 02.05.2022 को प्रातः मय रिश्वती राशि के ब्यूरो कार्यालय सिरोही पहुंचने एवं मामले में पूर्ण गोपनीयता रखने की हिदायत कर ब्यूरो स्टाफ को भी नियत समय पर कार्यालय में उपस्थित होने हेतु पाबन्द किया गया। परिवादी की रिपोर्ट मय डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर कार्यालय मालखाना में सुरक्षित रखे गये।

दिनांक 02.05.2022 को नियत समय पर मन् ओमप्रकाश चौधरी अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्र.नि.ब्यूरो सिरोही, अतिरिक्त चार्ज भ्र.नि.ब्यूरो जोधपुर ग्रामीण ब्यूरो कार्यालय सिरोही पहुंचा। श्री अदाराम सहायक उप निरीक्षक पुलिस ने परिवादी की लिखित रिपोर्ट मय आधार कार्ड एवं खेत की जमाबन्दी प्रति एवं रिकॉर्डिंग रिश्वती राशि मांग सत्यापन वार्ता से संबंधित डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को पेश किये, मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के निर्देशानुसार अब तक हुई कार्यवाही के हालात बताये। जिस पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा परिवादी की लिखित रिपोर्ट व अब तक की कार्यवाही का मुर्तिबा रनिंग नोट का अवलोकन कर डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर में रिकॉर्डिंग रिश्वती राशि मांग सत्यापन वार्तालाप सुना गया, तो पूर्व में श्री अदाराम एएसआई द्वारा जरिये मोबाईल बताये गये तथ्यों की ताईद होते हुए आरोपी श्री जीतूसिंह पटवारी, पटवार हल्का मेर-माण्डवाड़ा, तहसील व जिला सिरोही द्वारा परिवादी श्री श्रवण पुरोहित निवासी आमलारी की माता श्रीमति सदूदेवी एवं सह-हिस्सेदार श्रीमति सोनीदेवी कलबी के ग्राम मेर-माण्डवाड़ा में स्थित खेत खसरा सं. 2874 का बंटवाड़ा करवाने की ऐवज में वक्त सत्यापन परिवादी से 2000 रु. प्राप्त कर ओर 15000 रु. रिश्वती राशि की मांग कर उक्त राशि सोमवार दिनांक 02.05.2022 को देने का कहना पाया जाने से रिश्वती राशि मांग की पुष्टि होना पाया गया। हाजिर श्री रमेशकुमार कानि. 119 से सत्यापन हालात मालुमात किये गये। इस दौरान श्री सोहनराम कानि. 361 ने कार्यालय कक्ष में उपस्थित होकर बताया कि परिवादी श्री श्रवण पुरोहित जिसे आज के रोज 9:00 ए.एम. पर ब्यूरो कार्यालय में उपस्थित होने हेतु पूर्व में पाबन्द किया गया था, जिसने ठीक 9:00 ए.एम. पर अपने मोबाईल नं. 8692981847 से मेरे मोबाईल पर कॉल कर बताया कि अभी कुछ देर पहले मेरे पास आरोपित पटवारी का कॉल आया था. जिसने बताया कि मैं दो दिन किसी विवाह समारोह में व्यस्त हूँ, इसलिए आप दो दिन बाद मेरे पास आना, जिस पर मैंने उन्हें कहा था कि फिर मेरे मुम्बई निकलना हैं, आप जल्दी कराओ, तो उसने मुझे कहा कि आप दो दिन बाद ही आना, अब क्या करें। जिस पर परिवादी को प्रकरण में पैण्डिंग दस्तावेजात फर्द आदि तैयार करने हेतु



आज के रोज कार्यालय में उपस्थित आने बाबत् कहा गया, जिस पर उसने आज दिन में कार्यालय में उपस्थित होने का कहा है। अतः परिवादी के इन्तजार में व्यस्त हुआ। किन्तु काफी समय व्यतीत होने के बावजूद परिवादी उपस्थित नहीं आया, प्रकरण हाजा में फर्द ट्रांसक्रिप्ट रिश्वती राशि मांग सत्यापन मुर्तिब करने हेतु परिवादी श्री श्रवण पुरोहित की ब्यूरो कार्यालय पर तलबी बाबत् उनके मोबाईल नं. 8692981847 पर कार्यालय के श्री अदाराम ए.एस.आई. एवं श्री सोहनराम कानि. 361 के माध्यम से कॉल करवाया गया तो परिवादी के मोबाईल पर पूरी रिंग जाने के बावजूद उसके द्वारा दोनों कॉर्मिकों के कॉल अटेंड नहीं किये गये एवं कुछ समय बाद रिटर्न कॉल कर परिवादी ने बताया कि मैं दिन में 3-4 बजे तक एसीबी कार्यालय उपस्थित हो जाऊंगा। लिहाजा परिवादी के इन्तजार में व्यस्त हुआ। इस समय प्रस्तावित कार्यवाही हेतु स्वतन्त्र गवाहान की आवश्यकता होने से श्री रविन्द्रकुमार हैड कानि. नं. 28 के माध्यम से जरिये तेहरीर कार्यालय उप वन संरक्षक, वन विभाग सिरौही से दो स्वतन्त्र गवाहान श्री रविकुमार खत्री कनिष्ठ सहायक व श्री रमेशपुरी कनिष्ठ सहायक की ब्यूरो कार्यालय में तलबी कर दोनों गवाहान का पूर्ण परिचय प्राप्त कर इन्हें ब्यूरो कार्यालय में बुलाने के मन्तव्य से अवगत करवाया गया। इस दौरान परिवादी श्री श्रवण पुरोहित निवासी आमलारी ब्यूरो कार्यालय पर उपस्थित आया, जिसने बताया कि आज प्रातः करीब 9:00 बजे मेरे पास श्री जीतूसिंह पटवारी के माबाईल नंबर 6376932262 से मेरे मोबाईल नं. 8692981847 पर कॉल आया जिसने बताया कि आज मैं फ्री नहीं हूँ किसी दूसरे काम में व्यस्त हूँ, मैं जब भी बुलाऊं या कल पिरसों आप आ जाना, इस बात से मैंने आपके कार्यालय के श्री सोहनराम को आज प्रातः ही कॉल कर अवगत करवाया था, एवं बाद में आपकी तलबी पर इस समय ब्यूरो कार्यालय में उपस्थित आया हूँ। अतः परिवादी की उपस्थिति में अग्रिम कार्यवाही प्रारंभ की जाकर श्री श्रवण पुरोहित से दोनों स्वतन्त्र गवाहान श्री रविकुमार व श्री रमेशपुरी कनिष्ठ सहायकगण का परस्पर परिचय करवाया गया। परिवादी द्वारा पूर्व में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दोनों गवाहान को पढकर सुनाया गया एवं पढाया गया। रिश्वती राशि मांग सत्यापन वार्ता के मांग-सत्यापन से संबधित महत्वपूर्ण वार्ता के अंश (डिजीटल टेप रिकॉर्डर में रिकॉर्डिंग वार्ता समय 15:00 मिनट से 24:00 मिनट तक का करीबन 10:00 मिनट का वार्तालाप) डिजीटल वॉईस रिकॉर्डर चालू कर रिवर्स/फोरवर्ड कर दोनों गवाहान को सुनाया गया। दोनों गवाहान ने भी परिवादी से विस्तृत पूछताछ कर तसल्ली कर परिवादी के प्रार्थना पत्र पर अपने-अपने हस्ताक्षर करते हुए कार्यवाही में स्वतन्त्र गवाहान बनने की सहमति प्रदान की। जिस पर परिवादी श्री श्रवण पुरोहित एवं आरोपी श्री जीतूसिंह पटवारी के मध्य दिनांक 28.04.2022 को रूबरू हुई रिश्वती राशि मांग सत्यापन की वार्ता जो कार्यालय के डिजीटल वॉईस रिकार्डर में रिकॉर्ड थी, को रूबरू मौतबिरान एवं परिवादी श्री श्रवण पुरोहित के सुन-सुन कर शब्द-बशब्द फर्द ट्रांसक्रिप्ट रिश्वती राशि मांग सत्यापन वार्तालाप मुर्तिब कर शामिल पत्रावली की गई। वार्तालाप की कार्यालय के कम्प्युटर के माध्यम से दो सी. डी. तैयार कर एक को मूल मानते हुये कपडे की थेली में डालकर सील मोहर कर फर्द व थेली पर सम्बंधितगणों के हस्ताक्षर करवाये जाकर सीडी की सील्डयुक्त थेली पर मार्क "D" अंकित किया गया, एवं दूसरी सी.डी. को डब मानते हुये खुली रखी गई। आरोपी श्री जीतूसिंह पटवारी व स्वयं के आवाज की पहचान परिवादी श्री श्रवण पुरोहित द्वारा की गई। उक्त वार्ता की मूल व डब सीडी मालखाना प्रभारी श्री अदाराम ए.एस.आई. को सुपुर्द कर जमा मालखाना करवाई गई। बाद परिवादी श्री श्रवण पुरोहित से आरोपी श्री जीतूसिंह पटवारी को रिश्वत में दी जाने वाली राशि 15000 रु. सहित दिनांक 05.05.2022 वक्त 09:00 ए.एम. पर ब्यूरो कार्यालय में पुनः उपस्थित आने हेतु पाबन्द कर सकूनत की तरफ रूखसत किया गया, इसी प्रकार दोनों स्वतन्त्र गवाहान व ब्यूरो स्टाफ को भी उक्त नियत समय पर पुनः उपस्थित आने बाबत् हिदायत कर फॉरिक किया गया। रूखसत करने से पूर्व परिवादी, दोनों स्वतन्त्र गवाहान एवं ब्यूरो स्टाफ को प्रकरण में पूर्ण गोपनीयता बनाए रखने की समझाईश की गई।

दिनांक 05.05.2022 को परिवारी ने बताया कि मैंने एसीबी ऑफिस रवाना होने से पूर्व आरोपित पटवारी की उपस्थिति के बारे में मालुमात किया तो उसके अवकाश पर जाने का पता चला है, इसलिए उसके विरुद्ध आज कार्यवाही नहीं हो सकती है, मैं पटवारी के अवकाश से वापस आते ही उसकी उपस्थिति की पुख्ता जानकारी प्राप्त कर कॉल करूंगा, तब इसके विरुद्ध कार्यवाही की जा सकती है। जिस पर परिवारी को एस.ओ. की उपस्थिति बाबत मालुमात कर अवगत कराने व प्रकरण में पूर्ण गोपनीयता बनाए रखने की हिदायत की गई।

तत्पश्चात दिनांक 06 मई से 09 मई/2022 तक एस.ओ. की उपस्थिति के बारे में परिवारी की सूचना का इन्तजार किया, किन्तु परिवारी द्वारा इस संबंध में कोई सूचना नहीं दी गई एवं न ही ब्यूरो कार्यालय पर किसी से सम्पर्क किया गया, जिस पर दिनांक 10.05.2022 को पुनः कार्यालय कॉर्मिक श्री सोहनराम कानि. व श्री रमेशकुमार कानि. के मोबाईल से परिवारी से सम्पर्क किया गया तो उसके द्वारा श्री रमेशकुमार का मोबाईल रिसीव नहीं किया गया एवं श्री सोहनराम के मोबाईल से कॉल करने पर परिवारी द्वारा कॉल रिसीव किया गया, जिस पर उन्हें एस.ओ. के विरुद्ध अग्रिम कार्यवाही हेतु ब्यूरो कार्यालय पर तलब किया गया तो परिवारी ने बताया कि मेरे एक-दो दोस्तों को इस कार्यवाही की जानकारी थी, जिन्होंने पटवारी को इस संबंध में बता दिया है एवं पटवारी का मेरे पास कई बार फोन आया जिसने मुझे पूछा कि आपने एसीबी से मेरी रिकॉर्डिंग क्यों करवाई है, जिस पर उसे इस घटना की जानकारी समय पर एसीबी को नहीं देने बाबत पूछा जाने पर परिवारी ने कहा कि कार्यवाही की बात आऊट होने से मैं टेन्शन में आ गया था, इसलिए एसीबी कार्यालय को सूचना देने संबंधित कोई बात मेरे दिमाग में नहीं आई थी। इस प्रकार इस ट्रेप कार्यवाही की भनक एस.ओ. को लगना पाया जाने से प्रकरण में रिश्वती राशि लेन-देन की अग्रिम कार्यवाही होना संभव नहीं है। लिहाजा इस संबंध में ब्यूरो के उच्च अफसरान से हालात निवेदन कर अग्रिम कार्यवाही के निर्देश प्राप्त किये गये। इस दौरान प्रकरण हाजा में गोपनीय रूप से मालुमात करने पर पाया कि आरोपित पटवारी का नाम श्री जेटूसिंह हैं, जबकि परिवारी द्वारा अपनी रिपोर्ट में आरोपित पटवारी का नाम श्री जीतूसिंह अंकित किया गया, लिहाजा इससे आगे की कार्यवाही में आरोपित के वास्तविक नाम का समावेश करते हुए प्रकरण में उक्त का नाम श्री जेटूसिंह उर्फ श्री जीतूसिंह उपयोग में लिया गया। फर्द ट्रांसक्रिप्ट रिश्वती राशि मांग-सत्यापन में परिवारी व आरोपी के अलावा जिस "अन्य व्यक्ति" का वार्तालाप आया था, उक्त अन्य व्यक्ति को परिवारी वक्त सत्यापन वहीं से अपने साथ लेकर आरोपित पटवारी के पास गया था, किन्तु उक्त अन्य व्यक्ति को परिवारी गोपनीय रखना चाहता था, इसलिए परिवारी द्वारा उक्त के नाम, पते का खुलाशा वक्त कार्यवाही नहीं किया गया। विभाग से प्राप्त सेवा विवरण में आरोपी का नाम श्री जेटूसिंह बारहठ अंकित है।

उपरोक्त कार्यवाही से आरोपी श्री जेटूसिंह बारहठ पटवारी, पटवार मण्डल मेर-माण्डवाड़ा, तहसील व जिला सिरौही द्वारा लोकसेवक होते हुए अपने पद का दुरुपयोग कर परिवारी श्री श्रवण पुरोहित की माता श्रीमति सदुबाई व सह-हिस्सेदार श्रीमति सोनीदेवी पत्नि श्री चोपाजी कलबी के ग्राम मेर-माण्डवाड़ा में अवस्थित शामलाती खेत खसरा सं. 2874 रकबा 1.2300 हैक्टेअर का दोनों खातेदारों की सहमति से स्वैच्छिक बंटवाड़े की कार्यवाही कराने की ऐवज में दिनांक 28.04.2022 को वक्त सत्यापन परिवारी से 20,000 रु. रिश्वती राशि की मांग कर परिवारी के आग्रह पर 17000 रु. रिश्वती राशि लिया जाना तय कर इसमें वक्त सत्यापन 2000 रु. प्राप्त कर शेष 15000 रु. तीन-चार दिनों में देने का कहना व सत्यापन कार्यवाही की आरोपित पटवारी को भनक लगने से अग्रिम लेन-देन कार्यवाही नहीं होने इत्यादि कृत्य से आरोपी श्री जेटूसिंह बारहठ पुत्र श्री देवीसिंह बारहठ, जाति चारण, उम्र 48 वर्ष, निवासी ग्राम गुडा एन्दला, तहसील व जिला पाली, हाल पटवारी, पटवार मण्डल मेर-माण्डवाड़ा, तहसील व जिला सिरौही के विरुद्ध अपराध अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) अधिनियम 2018 प्रथम दृष्टिया प्रमाणित पाया गया है।



अतः आरोपी श्री जेटूसिंह बारहठ पुत्र श्री देवीसिंह बारहठ, जाति चारण, उम्र 48 वर्ष, निवासी ग्राम गुडा एन्दला, तहसील व जिला पाली, हाल पटवारी, पटवार मण्डल मेर-माण्डवाड़ा, तहसील व जिला सिरौही के विरुद्ध अन्तर्गत जुर्म धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) अधिनियम 2018 में बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट कता की जाकर कर्मांकन हेतु प्रेषित कर निवेदन है कि अपराध दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान के आदेश फरमावें।


भवदीय



(ओमप्रकाश चौधरी)
अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,
सिरौही,

कार्यवाही पुलिस


प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री ओमप्रकाश चौधरी, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, सिरोही ने प्रेषित की है। मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) में अभियुक्त श्री जेठूसिंह बारहठ, पटवारी, पटवार मण्डल मेर-माण्डवाड़ा, तहसील व जिला सिरोही के विरूद्ध घटित होना पाया जाता है। अतः अपराध संख्या 237/2022 उपरोक्त धारा में दर्ज कर प्रतियाँ प्रथम सूचना रिपोर्ट की नियमानुसार कता कर तफ्तीश जारी है।


15.6.22
पुलिस अधीक्षक-प्रशासन,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर

क्रमांक 2089-93 दिनांक 15.6.2022

प्रतिलिपि:-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. विशिष्ट न्यायाधीश एवं सेशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, पाली।
2. अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।
3. जिला कलक्टर(भू.अ.)सिरोही।
4. उप महानिरीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जोधपुर।
5. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, सिरोही।


15.6.22
पुलिस अधीक्षक-प्रशासन,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर